उत्तराखण्ड शासन
नियोजन अनुभाग–2
संख्या– /XXVI/दो(09)2004TC
देहरादूनः दिनांक 03 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2021

विज्ञप्ति/नियुक्ति

नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या विभाग में अर्थ एवं संख्याधिकारी के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के क्रम में निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू. 15600–39100, ग्रेड पे–5400 (सादृश्य वेतन लेवल–10 (56100–177500) में योगदान करने हेतु पैरा–2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त/तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	नाम सर्वश्री/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	पत्र व्यवहार का पता	गृह जनपद
1.	मुकेश सिंह नेगी	जगदीश सिंह नेगी	ग्राम– चनोली, पो0ओ0 गागरी गोल, जनपद–बागेश्वर, उत्तराखण्ड पिन–263641	बागेश्वर
2	प्रदीप वर्मा	गुलाब चन्द वर्मा	प्रशांत ज्वैलर्स, निकट सब्जीमण्डी, दोहरीघाट, मऊ, उत्तरप्रदेश पिन–275303	मऊ(UP)
3.	राम सलोने	सुकुरू प्रसाद	119/3, फेस–2, सचिवालय कॉलोनी, केदारपुरम, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन–248001	चित्रकूट(UP)
4.	वीना सिंह	स्व0 वासुदेव सिंह	बी/183, बेगमगंज, नवाबगंज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, पिन–225001 (फोम ट्रेडर्स के समीप)	बाराबंकी(UP)
5.	दीप्तकीर्ति तिवारी	शिवकान्त तिवारी	शिवा सदन, विजयपुरम, बंधवा, तालीपुर, त्रिवेणीपुरम, झूसी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पिन–211019	प्रयागराज(UP)
6.	शुभम त्रिपाठी	अवधेश नारायण त्रिपाठी	251 ओम गायत्री नगर, तेलीयारगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन–211004	प्रयागराज(UP)
7.	रेनु	गगन सिंह भण्डारी	C/o त्रिभुवन सिंह फर्तयाल, नियर शेरवानी हिलटॉप इन, मल्लीताल, नैनीताल, पिन–263001	चम्पावत

क्रमशः...2 प

8.	शिल्पा भाटिया	अजय कुमार	69, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड, पिन–249201	देहरादून
9.	निरंजन प्रसाद	बिशन राम	ग्राम–चामी, पो0ओ0–गरूड़ाबांज, तहसील–भनोली, जिला–अल्मोड़ा, पिन–263623	अल्मोड़ा
10.	दिनेश सिंह	बाग सिंह	ग्राम व पो0ओ0–रामणी (घाट), जिला–चमोली, उत्तराखण्ड, पिन–246435	चमोली
11.	संदीप भट्ट	स्व0 तोता राम भट्ट	माता मंदिर एनक्लेव, सूर्य कॉलोनी, लेन–4, नथुवाला, समशेरगढ़, देहरादून, पिन–248001	पौड़ी गढ़वाल
12.	साक्षी शर्मा	विनोद कुमार शर्मा	H.NO 244/219 अपोजिट वीरा बिल्डिंग, मोहल्ला शेखपुरा, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन– 249403	हरिद्वार
13.	विनय जोशी	जयानन्द जोशी	ग्राम व पो0–मुन्धौल, तहसील–त्यूनी, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन–248199	देहरादून
14.	चेतना अरोरा	किशन लाल कुभार	मकान सं0–29, ग्राम–गढ़ीनेगी, तहसील–काशीपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन–263148	ऊधमसिंह नगर

2– उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अर्थ एवं संख्याधिकारियों की सेवाएं ''उत्तराखण्ड अर्थ एवं सांख्यिकी राजपत्रित सेवा नियमावली, 2015'' के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तो के आधार पर होगी, जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की योगदान आख्या नियोजन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन (विश्वकर्मा भवन, चतुर्थ तल, कक्ष सं0–426) में देना सुनिश्चित करेंगे।

(2.2) संबंधित अर्थ एवं संख्याधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निर्धारित स्थल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः...3 पर

(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

3— योगदान आख्या हेतु निर्धारित स्थल पर अपनी नियुक्ति हेतु योगदान आख्या प्रदान करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र शासन में प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें, तदोपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगीः—

(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण—पत्र।
(3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।
(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा पत्र।
(3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र।
(3.5) इंडियन आफिशियल सीकेट एक्ट—1923 के प्राविधानों को पढें जाने का प्रमाण पत्र।
(3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधित न हों, के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
(3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित प्रमाण पत्र एवं उसकी एक स्वप्रमाणित प्रति।
(3.8) लिखित रूप से एक "Under Taking" कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त समझी जाय।
(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण—पत्रों की जांच, संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

4— चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5— अर्थ एवं संख्याधिकारी संवर्ग में उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता जिसका लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर बाद में नियमानुसार की जायेगी।

6— अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित अर्थ एवं संख्याधिकारियों को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक नियुक्ति स्थल / कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः...4प.

संख्याः–135/XXVI-1/दो(09)2004TC तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।

2– महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।

3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–251, दिनांक 04.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

4– सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5– निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तर–3 एवं अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा योगदान कराते समय योगदान स्थल में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

6– मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित समस्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

7– उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।

8– उप निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रूडकी को गजट के आगामी अंकों में प्रकाशनार्थ।

9– संबंधित अभ्यर्थी (नाम से)।

10– संबंधित कार्मिकों की व्यक्तिगत पत्रावली।

11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
प्रभारी सचिव।